

केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

> 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website:www.kvsangathan.nic.in

F. 11029-06/2013-KVS/(HQ)/(Admn-1) / Vol-II

Date:13.08.2015

OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 04.03.2014, conveyed approval of Government of India, for establishing 54 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya, Shrawasti, District Shrawasti, Uttar Pradesh is one of these 54 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been leased in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, the sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector immediately, at the following location:-

S.No.	Name of Vidyalaya	Kendriya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Shrawasti, Shrawasti	District	C/o Rajkiya Balika Inter College, Bhinaga District Shrawasti, Uttar Pradesh, PIN 271831.

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2015-16 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.


(Dr. E. Prabhakar)

Joint Commissioner (Pers.)

Distribution:-

- 1. PS to HRM-cum-Chairman KVS.
- 2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
- 3. Sr. PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
- 4. PS to Commissioner, KVS.
- 5. PS to Additional Commissioner (Admn. / Acad.), KVS.
- 6. Joint Commissioner (Acad), KVS Hors with the request to issue staff sanction order.
- 7. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Lucknow with the request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of Parliamentary Constituency in which this school falls, for record of this office
- 8. The Principal Secretary (Education), Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
- 9. The District Collector, Shrawasti, Uttar Pradesh.
- The Superintending Engineer, KVS w.r.t note F.110111/229/2014-KVSHQ/Works dt. 22.07.2015
- 11. Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
- 12. All Officers/Sections, KVS Hgrs.
- 13. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
- 14. Director, all ZIETs, KVS.
- 15. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
- 16. President/ General Secretary recognized KVS Staff Association.

1. Mahanis



ጥ--2013/06-11029KVS(HQ)/(Admn-I)/Vol. ||

केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570 website:www.kvsangathan.nic.in

दिनांक:13 .08.2015

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के दिनांक 04.03.2014के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 54 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय शावस्ती, जिला शावस्ती, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त स्वीकृत 54 नए केन्द्रीय विद्यालयों मे से एक है।

चूंकि निम्निसिखित केन्द्रीय विद्यालय के मामले में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में भूमि पड़े पर दी जा चुकी है अतः नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नये केन्द्रीय विद्यालय निम्निसिखित स्थान पर प्रारंभ करने के लिए आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है-:

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	श्रावस्ती, जिला श्रावस्ती	C/o
		राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जिंगा, जिला श्रावस्ती, उत्तर-
		प्रदेश, पिन : 271831

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सब 16-2015 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन (संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर भी जाए। (डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

- 1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव-।
- 2. सचिव ,स्कूम शिक्षा एवं साक्षरता (मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- 3. अपर सचिव,स्कूल शिक्षा (मा.सं.वि.म .एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- 4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
- 5 अपर आयुक्त ,प्रशा/.शै.केविसं के निजी सचिव।
- 6. संयुक्त आयुक्त(शैक्षिक), केविसं, मु., को इस अनुरोध के साथ कि वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करे।
- 7. उपायुक्त, केविसं क्षे .का .लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के .वि .को संचालित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रैकॉर्ड हेतू इस कार्यालय में भेजे।
- 8. प्रिन्सिपल सेक्नेटरी शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार, लखनङ ।
- 9. जिला कलेक्टर, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश।
- 10. अधिक्षण अभियंता केविसं की उनकी फ़ाइल संख्या F.110111/229/2014-KVSHQ/Works दिनांक 22.07.2015 के संबंध में ।
- 11. सचिव, सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेन्टर , प्रींत विहार , दिल्ली-92 !
- 12. केविसं (मू.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- 13 उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय
- 14 निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
- 15 उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- 16 अध्यक्ष/ महासचिव, मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
- 17 गार्ड फ़ाइस।